मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः21.11.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" व "मिशन शक्ति अभियान 5.0" के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पत्नी की हत्या के अभियोग में आरोपी पति को करायी आजीवन कारावास एवं ₹ 25,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" व मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत "पीयूष मोर्डिया" अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व "आर.पी.सिंह" पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में "सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना जिगना पर पत्नी की हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय SPL(J) SC/ST Act., मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त पति को आजीवन कारावास एवं ₹ 25,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः 15.04.2021 को थाना जिगना पर वादी मुन्नर बिन्द पुत्र छटंकी निवासी पहाड़ी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त (वादी की बहन का पति) के विरुद्ध वादी की बहन की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना जिगना पर मु0अ0सं0-37/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। "सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" व मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी राजेश यादव, विवेचक- निरीक्षक प्रनय प्रशुन श्रीवास्तव, कोर्ट मुहर्रिर-उनि राजेश कुमार तिवारी व आरक्षी विनोद कुमार गोस्वामी तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी रवि कान्त यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः 21.11.2025 को मा0न्यायालय SPL(J) SC/ST Act., मीरजापुर-ऋचा जोशी द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रामनरेश पुत्र स्व0 राम जतन निवासी नेगुरावान सिंह थाना जिगना जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 25,000.00/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मीरजापुर
पुलिस
आपरेशन कन्विक्शन
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाये जा रहे अभियान #OperationConviction व #MissionShakti5 के तहत थाना जिगना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-37/2021 धारा 302 भादवि की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांकः 21.11.2025 को मा0न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद रामनरेश पुत्र स्व0 रामजतन निवासी नेगुरावान सिंह थाना जिगना जनपद मीरजापुर को आजीवन कारावास व ₹ 25,000.00/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
लोक अभियोजक
एडीजीसी – राजेश यादव
विवेचक
निरीक्षक प्रनय प्रशुन श्रीवास्तव
पैरोकार
मुख्य आरक्षी- रवि कान्त यादव
कोर्ट मोहर्रिर
उ.नि. राजेश कुमार तिवारी
आरक्षी- विनोद कुमार गोस्वामी
@mirzapurpolice
Mirzapur Police
mirzapur.police

****